# राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति

**स्रोत: पी.आई.बी**

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने वन्यजीवों के समक्ष आने वाले स्वास्थ्य खतरों से निपटने के उद्देश्य से एक **राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति प्रस्तावित** की है।

## प्रस्तावित राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति क्या है?

- **परिचय:**
  - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय **के तहत** केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण **द्वारा सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, प्राणि उद्यानों और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया।**
  - नीति विकास को IIT बॉम्बे स्थित GISE हब और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय जैसे संस्थानों द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
- **उद्देश्य:**
  - यह नीति **भारत की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-31)** और **वन हेल्थ नीति** की पूरक होगी, जिसका **उद्देश्य लोगों, पशुओं तथा पर्यावरण** के बीच परस्पर निर्भरता को मान्यता देकर उनके स्वास्थ्य को अनुकूलित करना है।
  - **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-31) में 103 संरक्षण कार्यों और 250 परियोजनाओं** की रूपरेखा दी गई है।
    - इनमें **बाघ अभयारण्यों, संरक्षित क्षेत्रों और वनों में रोग निगरानी के लिये एक मानक प्रोटोकॉल** बनाना, साथ ही जंगली जानवरों की मृत्यु तथा इच्छामृत्यु के लिये **कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रोटोकॉल** स्थापित करना शामिल है।
  - नीति में **वन्यजीव रोगाणु जोखिम प्रबंधन**, **रोग प्रकोप की तैयारी और प्रतिक्रिया**, तथा **जैव सुरक्षा** जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा।
  - नीति का उद्देश्य वन्यजीव रोगों और स्वास्थ्य प्रबंधन रणनीतियों पर केंद्रित अनुसंधान एवं विकास पहल को बढ़ावा देना है।
    - वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन में शामिल **हितधारकों के कौशल और ज्ञान** को बढ़ाना।
- **वर्तमान वन्यजीव स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियाँ:**
  - भारतीय वन्यजीव **विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना** कर रहे हैं, जिनमें **संक्रामक रोग (कैनाइन डिस्टेंपर वायरस),** आवास की क्षति, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अवैध गतिविधियाँ शामिल हैं।
    - यह नीति इसलिये आवश्यक है क्योंकि **भारत में वन्यजीवों की 91,000 से अधिक प्रजातियाँ** पाई जाती हैं, तथा यहाँ राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और बायोस्फीयर रिज़र्वों सहित **1,000 से अधिक** संरक्षित क्षेत्र हैं।

//

## केंद्रीय चड़ियाघर प्राधकिरण

- **[केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण]** **(CJZA)** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक **वैधानिक निकाय** है, जिसे **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के तहत वर्ष 1992 में स्थापित किया गया था।
- इसकी अध्यक्षता **पर्यावरण मंत्री** करते हैं तथा इसमें **10 सदस्य और एक सदस्य-सचिव** होते हैं।
- इसका उद्देश्य समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास को पूरक और मज़बूत बनाना है।

## UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

### ?????????:

**प्रश्न. यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की अनुसूची VI में रखा गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है? (2020)**

(a) उस पौधे की खेती करने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता है।
(b) ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती।
(c) यह एक आनुवंशिकत: रूपांतरित फसली पौधा है।
(d) ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारितंत्र के लिये हानिकारक होता है।

**उत्तर: (a)**

---

**प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र की जैवविविधता के लिये खतरा हो सकता है? (2012)**

1. ग्लोबल वार्मिंग
2. आवास का खंडीकरण
3. विदेशी प्रजातियों का आक्रमण
4. शाकाहार को बढ़ावा देना

**नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करे सही उत्तर का चयन कीजिये:**

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

**उत्तर: A**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-wildlife-health-policy